फर्द अहकाम्

(नियम–13)

(General Rule (Civil), Rule 103, Appendix 'B' Form No.91)

अज अदालत– .... **उपखण्ड अधिकारी** .... मुकाम– .... **डीडवाना** ....

प्रार्थी:– राज्य सरकार जरिए तहसीलदार डीडवाना, जिला डीडवाना–कुचामन राज0।

बनाम्

अप्रार्थीगण :– मनोहर सिंह राठौड़ पुत्र नारायण सिंह जाति राजपूत निवासी सिंघाना तहसील डीडवाना ।

किस्म मुकदमा– राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 177 R.T.Act. संख्या...**14/2024** सन्–**2024**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए।
19.11.2024	प्रार्थी राज्य सरकार जरिए तहसीलदार डीडवाना, जिला डीडवाना–कुचामन राज0 ने यह प्रार्थना–पत्र विरुद्ध अप्रार्थी मनोहर सिंह राठौड़ पुत्र नारायण सिंह जाति राजपूत निवासी सिंघाना तहसील डीडवाना के पेश किया। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर हो। स्थगन पर प्रार्थी तहसीलदार डीडवाना को सुना गया तथा रेकर्ड का अवलोकन किया। रेकर्ड के अवलोकन करने, तर्कों पर मनन् करने तथा प्रार्थी के शपथ–पत्र पर विश्वास करते हुए, अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि, वे आगामी आदेश तक सरहद अमरपुरा पटवार हल्का दादूबासनी के खसरा नम्बर 190/530 की भूमि में मौका व राजस्व रेकर्ड की यथारिथति बनाये रखें एवं किसी प्रकार का बैचाण नही करेगें व उपपंजीयक डीडवाना पंजीयन की कार्यवाही नही करेगें। अप्रार्थीगण को कोई उज्र एतराज हो तो असालतन/वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर पेश करें। अप्रार्थीगण को तलब होकर पत्रावली दिनॉक **24.12.2024** को पेश हो। Vikas उपखण्ड अधिकारी डीडवाना 24/12/24 **पत्रावली पेश हुई। श्री मान् P.O. सा अवकाश/अन्य कार्य/दौरे पर पधारे है। मिसल दिनांक** 13/1/25 **को पेश हो।** 13/1/25 पत्रावली पेश हुई। श्री मान् P.O. सा अवकाश/अन्य कार्य/दौरे पर पधारे है। मिसल दिनांक 23/1/25 को पेश हो।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.08 11:17:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

(5)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यावाही मल इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रस्तुत हस्तगत कार्यवाही खारिज की जाती है तथा दिनांक 19.11.2024 को जारी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा आज निरस्त की जाती है। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर रिकॉर्ड दफ्तर हो। Vikas उपखण्ड अधिकारी डीडवाना.	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.08 11:17:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

23/1/2025

पत्रावली पेश हुई।
राज. पैरोकार उपस्थित।
अप्रार्थी की तरफ से अधिवक्ता श्री हरदीन राम जाखड़ ने वकालतनामा जवाब तथा दस्तावेजात पेश किए जो शामिल रहे।

बहस सुनी गई। राज. पैरोकार का कथन है कि खातेदार अप्रार्थी ने प्रश्नगत भूमि खेत खसरा नम्बर 190/530 सरहद अमरपुरा में पत्थर गाड़ कर अकृषि कार्य किया जा रहा है जो कि खातेदारी शर्तों का उल्लंघन है इसलिए भूमि को सिवायचक दर्ज किया जावे।

अप्रार्थी का प्रत्युत्तर है कि कृषि भूमि से गैर कृषि भूमि रूपान्तरण हेतु नगरपरिषद डीडवाना में आवेदन प्रस्तुत किया गया है तथा शुल्क भी जमा करवाया गया है। भूमि रूपान्तरण की कार्यवाही की जा रही है इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया गया। सरहद अमरपुरा तहसील डीडवाना के आराजी खसरा नम्बर 190/530 में सीसी सड़क, मकान निर्माण व पत्थर गाड़ कर अकृषि उपयोग करते हुए प्रश्नगत भूमि को सिवायचक दर्ज करने की प्रार्थना प्रस्तुत कर रखा है। अप्रार्थी ने इस कथन को नकारा है व भूमि के रूपान्तरण की कार्यवाही की जाने का कथन किया है। उपलब्ध अभिलेख के अनुसार खातेदार/अप्रार्थी ने सरहद अमरपुरा के खसरा नम्बर 190/530 के भूमि संपरिवर्तन की पत्रावली नगर परिषद डीडवाना के पास पेश की है जो कि विचाराधीन है। भूमि रूपान्तरण शुल्क ₹ 5,52,800/- मय जारीशुदा रसीद संख्या 97 दिनांक 28.11.2024 के नगरपरिषद डीडवाना में जमा कराए गए हैं। नगरपरिषद डीडवाना के द्वारा लोक सूचना का प्रकाशन भी कराया गया है। उक्त प्रकार से प्रश्नगत भूमि के भूमि रूपान्तरण की विधिक कार्यवाही सक्षम प्राधिकारी के समक्ष जेरकार है इसलिए [illegible] है। अप्रार्थी के द्वारा भूमि रूपान्तरण की कार्यवाही [illegible] वर्तमान स्टेज पर यह कार्यवाही लम्बित रखना [illegible] आदेश के पश्चात हेतु जाने का कोई [illegible] नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में तहसीलदार डीडवाना के द्वारा

XXContd -

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.08 11:17:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner